

भाग-2

जिला कार्यालय द्वारा की जाने वाले कार्यवाही
आवेदक के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने
बाबत प्रमाण-पत्र।

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती..... पिता/पति.....
ग्राम/नगर/मकान नं. तहसील जिला.....
मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित उपरोक्त विवरण की प्रारंभिक
जांच से यह संतुष्टि कर ली गई है कि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का
सदस्य है।

2. आवेदन श्री/कु./श्रीमती..... पिता/पत्नी.....
मकान नं./ग्राम/नगर..... तहसील जिला.....
का नाम ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....
में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के रजिस्टर में क्रमांक.....पर दर्ज है।

(उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जिलाध्यक्ष द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसा न होने पर आवेदन
मान्य नहीं किया जा सकेगा)

जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर,
जिला..... (म.प्र.)

जिलाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित होने पर आवेदक को सिविल सर्जन जिला अस्पताल के पास भेजा
जायेगा जो आवेदक का परीक्षण करके निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अंकित करेगा।